सीएएः मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं

मुस्ताअली बोहरा

सीएए के साथ एनआरसी को मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने के रूप में देखा गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात जो कि गैर सरकारी धार्मिक संगठन हैं, के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने सीएए के लागू होने पर कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। सीएए को लेकर पूर्व में हुए विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक लोगों ने गलतफहमियां पैदा की थीं।

नागरिकता देने के लिए है कानून, छीनने के लिए नहीं....

आखिरकार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चैंकाने वाला फैसला लेते हुए नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया। सीएए को लागू करना चैंकाने वाला नहीं था बल्कि ऐन रमजान पर लागू करने वाला चैंकाने वाला था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी के इस कदम के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये वही कानून है, जिसे लेकर कुछ साल पहले देश भर में कई प्रदर्शन हुए थे। दरअसल सीएए को लेकर या तो ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है या फिर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। ये कानून नागरिकता देने के लिए लाया गया है ना कि नागरिकता छीनने के लिए। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थी लोग सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। भारत में पांच साल से ज्यादा वक्त से रहने वाले लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जहां तक इसके विरोध या विवाद का प्रश्न है तो वो इसलिए हो रहा है कि क्योंकि सीएए के तहत मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं रखा गया है। सीएए का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में किसी एक समुदाय को छोड़ने वाला कानून नहीं लाया जाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोग भारत में शरण लेने के 11 साल बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2019 में जब सीएए संसद में पास किया गया था तब ये कहा जा रहा था कि सीएए के बाद सभी को कागज दिखाने होंगे। हालांकि, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में रहने वाले लोगों पर इस कानून का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। ये कानून सिर्फ उन लोगों के लिए है, जो दूसरे देशों से भारत आए हैं और नागरिकता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। भारत में रहने वाले लोगों को संविधान के तहत नागरिकता का अधिकार है। उत्तर पूर्व के ज्यादातर हिस्सों को सीएए से छूट दी गई है। असम के आदिवासी इलाके, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा संविधान की छठी अनुसूची के तहत आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड और मणिपुर को सीएए के प्रावधानों से छूट दी गई है।

11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम लागू होने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर

2014 से पहले भारत में आए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता बिना वैध पासपोर्ट और भारत के वीजा के बिना मिल सकती है। इन तीनों देशों के गैर-मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यक अपने माता-पिता, दादा-दादी या उनसे भी पीछे की पीढ़ी की राष्ट्रीयता के दस्तावेज दिखाकर भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। वीजा के बदले स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य की ओर से जारी सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। नागरिकता दिए जाने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान पासपोर्ट और भारत की ओर से जारी रिहाइशी परमिट के बजाय जन्म या शैक्षणिक संस्थानों के सर्टिफिकेट, लाइसेंस, सर्टिफिकेट, मकान होने या किराएदार होने के दस्तावेज पर्याप्त होंगे। वैध वीजा, एफआरआरओ यानी फॉरनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर से जारी रिहाइशी परमिट, जनगणना करने वालों की ओर से जारी पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भारत सरकार या अदालत की ओर से जारी कोई पत्र, भारत का जन्म प्रमाण पत्र, जमीन या किराएदार से जुड़े दस्तावेज, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, पैन कार्ड इश्योरेंस डॉक्यूमेंट, केंद्र, राज्य, बैंक या पीएसयू की ओर से जारी दस्तावेज, रेवन्यू ऑफिसर की ओर से जारी कागज, किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के चुने सदस्य की ओर से जारी दस्तावेज, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, बिजली, पानी बिल, ईपीएफ डॉक्यूमेंट, स्कूल सर्टिफिकेट, अकादमिक सर्टिफिकेट, म्युन्सिपेलिटी व्यापार लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट आदि को सबूत माना जाएगा। उन दस्तावेजों को भी मान्यता दी जाएगी, जिसमें माता-पिता या दादा-दादी के तीन में से एक देश के नागरिक होने की बात होगी। इन दस्तावेजों को स्वीकार किया जाएगा, फिर चाहे ये वैधता की अवधि को पार ही क्यों ना कर गई हो। इन दस्तावेजों को ऑन लाइन जमा करना होगा। सुरक्षा एजेंसी दस्तावेजों की जांच करेगी और फिर इसे आगे बढ़ाएगी। नए नियमों में इम्पावर्ड कमिटी और जिला स्तर पर केंद्र की ओर से ऐसी कमिटी बनाई जाएगी जो आवेदनों को लेगी और प्रक्रिया शुरू करेगी। इम्पावर्ड कमिटी का एक निदेशक होगा, डिप्टी सेक्रेटरी होंगे, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के स्टेट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर, राज्य के पोस्टमास्टर जनरल बतौर सदस्य होंगे। इस कमिटी में प्रधान सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और रेलवे अधिकारी होंगे। जिला स्तर की कमिटी के प्रमुख ज्यूरिसडिक्शनल सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट होंगे. इस कमिटी में जिले के इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर और केंद्र सरकार की ओर से एक नामित अधिकारी होगा। इसमें दो और लोगों को जगह दी जाएगी, जो तहसीलदार या जिलाधिकारी के स्तर का होंगे। सीएए के तहत पंजीकृत हर भारतीय को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

मोदी सरकार ने सीएए में ऐसे बदलाव किए हैं कि नागरिकता दिए जाने की प्रक्रिया में राज्य सरकारों की भूमिका ज्यादा ना हो। ये बदलाव इसलिए है कि राज्य सरकारों के इस कानून के विरोध करने से निपटा सकेगा। जब सीएए संसद में पास हुआ था तब भी कुछ और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसकी खिलाफत की थी। इस बार भी सबसे पहले ममता बनर्जी ने केन्द्र पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए का विरोध करते हुए कहा है कि आखिर रमजान के पहले ही इसे क्यों लागू किया गया है। उन?होंने कहा कि 2019 में असम में एनआरसी के नाम पर 19 लाख में से 13 लाख बंगाली हिंदू को लिस्ट से हटा दिया गया था, कई लोगों ने आत्महत्या की थी। मैं पूछती हूं, अगर वे लोग दर्खास्त करेंगे तो क्या उन्हें नागरिकता मिलेगी? उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा? उनकी संपत्ति का क्या होगा? जाहिर है पीएम मोदी को इसके विरोध का अंदेशा पहले से ही था। लिहाजा अब, मोदी सरकार ने ऐसे विरोध से निपटने के लिए कानून में बदलाव कर दिया है। वैसे तो इसे काफी पहले ही लागू हो जाना था लेकिन भाजपा सरकार ने मौके की नजाकत को भांपते हुए इसे लागू किया है। सीएए 11 दिसंबर 2019 को संसद से पास हुआ था और इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन इसके नियमों की अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इसे लागू कर दिया गया है। मालूम हो कि सीएए को लेकर देश भर में विरोध-प्रदर्शन हुआ था। केंद्र सरकार ने सीएए के बाद देश भर में एनआरसी लागू करने की बात कही थी। एनआरसी के तहत भारत के नागरिकों का वैध दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्रेशन होना था। सीएए के साथ एनआरसी को मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने के रूप में देखा गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात जो कि गैर सरकारी धार्मिक संगठन हैं, के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने सीएए के लागू होने पर कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। सीएए को लेकर पूर्व में हुए विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक लोगों ने गलतफहमियां पैदा की थीं। बहरहाल, सीएए के बाद एनआरसी की बारी है, देखिए आगे-आगे होता है क्या.....।

संपादकीय

विरोध की सांप्रदायिकता

अंततः संसद से चार साल पहले पारित हुआ नागरिकता संशोधन कानून अधिसूचित होकर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इस कानून के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार होकर भारत में शरण लेने वाले गैर-मुस्लिम धमार्नुयायियों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। सरकार की ओर से बार-बार कहा है कि यह धार्मिम उत्पीड़न के शिकार लोगों को मानवीयता के आधार पर मानवीय गरिमा और राज्यगत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास है। इसमें सिर्फ नागरिकता देने का प्रावधान है, किसी की नागरिकता छीनने का नहीं है। सरकार के इस प्रयास में निहित मानवीय दृष्टिकोण को संवेदना के साथ स्वीकार किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि प्रत्याशित था। समूचे विपक्ष ने इसका विरोध किया। किसी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए तो किसी ने चुनावों से ऐन पहले लागू करने के इसके समय को संदेह से देखा। एक तरफ जहां केजरीवाल जैसे बड़बोले नेता ने हास्यास्पद प्रतिक्रिया दी कि देश इस कानून के विरोध में है और आगामी चुनावों में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। यह अलग बात है कि केजरीवाल को जनता की वास्तविक प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी। विरोधियों में सबसे तीखे स्वर ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की रही। विजयन ने कहा कि यह कानून जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, केरल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया दी कि यह कानून लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करता है। एक तरह से इन नेताओं ने यह नकार दिया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम बहुल देशों में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ और वे उत्पीड़न का शिकार होकर ही वे अपना मूल देश छोड़कर भारत आए। इन देशों में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न एक बहुत ही उजागर तथ्य है जिसकी अनदेखी मोदी और भाजपा विरोधी नेता भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक समर्थन को ध्यान में रखकर ही कर रहे हैं। वस्तुतः यह एक गहरा प्रति सांप्रदायिक दृष्टिकोण है जो एक कथित सांप्रदायिकता के विरोध में दूसरी सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण करता है। इन्हें यह समझना चाहिए कि एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण का विरोध उससे भी अधिक उग्र सांप्रदायिकता के ध्रुवीकरण से नहीं किया जा सकता। अच्छा हो कि इस नागरिकता कानून को उतपीड़ितों के समर्थन में मानवीय दृष्टि से देखा जाए।

चिंतन-मनन

जीव है आध्यात्मिक स्फुलिंग

भगवद्गीता में भगवान ने बताया गया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है। वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। कहते हैं कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है, वह तुरंत कृष्ण के धाम को चला जाता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से, जो भी अपने अन्तःकरण में निरंतर कृष्ण का चिन्तन करता है, वही परम सिद्ध माना जाता है। इसका यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म-साक्षात्कार है। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं, जो इन्द्रियों की पहुंच के परे है तथा अप्रकट है।

इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में, वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है! निराकार स्वरूप, चाहे इस लोक में हो, चाहे भगवान के परम लोक में, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है।

वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिन्तन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ? अर्जुन को अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आश्वसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अन्तर स्पष्ट हो जाएगा।

खरमास में आम चुनावों का खरखासा...

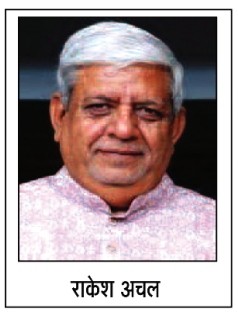

राकेश अचल

भारत में निष्ट और अनिष्ट को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं। मजे की बात ये है कि ज्योतिष पर भरोसा रखने वाले देश में इस बार आम चुनाव खरमास में होने जा रहे हैं जबकि खरमास में कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। खरमास में ही नए दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होना है और इसी काल में नए आम चुनावों की तिथियां घोषित की जाएँगी। मै तो इस तरह के झांसे में नहीं आता फिर भी आपको बता दूँ कि खरमास को विशेष ज्योतिषीय घटना है। ज्योतिषानुसार, सूर्य देव के धनु और मीन राशि में प्रवेश करने से खरमास लगते हैं। खरमास साल में 2 बार लगते हैं और खरमास के दौरान कुछ कामों को करने से मनाही होती है। इस साल 14 मार्च, गुरुवार से खरमास की शुरूआत होने वाली है और ये खरमास आने वाली 13 अप्रैल तक रहेंगे।।

केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने खरमास को देखते हुए ही शायद नागरिक संशोधन कानून पाक रमजान महीने में लागू किया है। इसी पाक रमजान महीने में खटटर साहब को हरियाणा की चौकीदारी से आजाद कर वहां नायब साहब की सरकार बनवाई गयी है और इसलिए लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों कि पहली सूची खरमास शुरू होने से बहुत पहले जारी कर दी गयी। कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दलों ने भी कम से कम इस मामले में एक-एक सूची जारी कर शगुन कर लिया। लेकिन नए दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और आम चुनावों की घोषणा को खरमास से नहीं बचाया जा सका। ज्योतिषी खरमास को शुभ समय नहीं मानते ,इसके चलते इस दौरान शादी करने से मना किया जाता है। खरमास के दिनों में मुंडन, गृह प्रवेश और सगाई वर्जित है खरमास में कुछ नया खरीदने से भी मना किया जाता है, खासकर संपत्ति या गाड़ी खरीदनी से हमेशा मना किया जाता है। संयोग से किसी भी ज्योतिषाचार्य ने खरमास में चुनाव करने की मनाही नहीं की। मुमकिन है कि ज्योतिषी चुनावों को शुभ कार्य मानते ही न हों ! क्योंकि अब चुनाव काले धन से लड़े जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए हर गलत काम किया जाता है। खरमास को कोई मलमास कहता है तो कोई पुरुषोत्तम मास। खर का मतलब दुष्ट भी होता है और गधा भी। इसीलिए दुनिया के तमाम गधे इस महीने में बहुत खुश दिखाई देते हैं हालाँकि उनका ज्योतिष ज्ञान शून्य होता है। दुष्ट लोगों के लिए मलमास बड़े काम का होता है। वे इस महीने में अपनी दुष्टता का भरपूर प्रदर्शन कर सकते हैं। राजनीति इस युग में दुष्टता का पर्याय है। इसमें गधे-घोड़ों की महत्ता ज्यादा बढ़ गयी है गधे और खच्चर कभी भी बोझा धोने के लिए राजी रहते है। उन्हें कभी भी चौकीदारी दी जा सकती है या चौकीदारी से हटाया जा सकता है । रहे घोड़े तो वे हमेशा बिकने के लिए राजी होते हैं और बिना हिनहिनाये बिक जाते हैं। उनकी स्वामिभक्ति स्थाई नहीं होती। वे जिस घुड़साल में बांधे जाते हैं उसी के हो जाते हैं। उन्हें तो केवल अपनी कीमत और दाना-पानी से मतलब होता है। पिछले दिनों खरमास से पहले और खरमास के बाद भी गधों और घोड़ों की खूब मांग रही। खरमास में इनका बाजार उठान पर होता है। मुझे अच्छा लग रहा है कि देश के आम चुनाव इस बार खरमास में ही घोषित किये जायेंगे। नए चुनाव आयुक्त भी इसी खरमास की उपलब्धियों में शुमार किये जायेंगे। सरकार के फैसलों का शुभ-अशुभ से कोई लेना-देना नहीं होता । सरकार जो करती है वो शुभ ही होता है । सरकार शिलान्यास करे या लोकार्पण,हरी झंडी दिखाए या लाल आँखें सभी कुछ शुभ है। सरकार के हाथ केवल हाथ नहीं बल्कि वे कर-कमल होते हैं सरकार के हिसाब से जात-पांत कुछ नहीं है ,इसलिए खटटर साहब को हटाने और नायब साहब को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने में किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। खरमास से पहले हरियाणा में सत्ता परिवर्तन एक शुभ घटना है । भले ही चौटाला फैमिली इस घटना से चोटिल हुई है। राजनीति में ये तो आम बात है । फिर अमरबेल जिसका भी आसरा लेती है ,उसका खून चूसती ही है। भाजपा इस काल की सबसे बड़ी अमरबेल है । चौटालाओं को भाजपा के साथ खड़ा होने से पहले अकालियों,शिव सैनिकों ,बसपाइयों और समाजवादियों से सलाह -मश्विरा करना चाहिए था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही समय पार इलेक्टोरल बांड के मामले में अपना फैसला सुनाया। मजा तो तब आये जब सुप्रीम कोर्ट सरकार से बांड से धन की उगाही की फेहरिश्त चुनाव आयोग की वेब साइट पर डालने के साथ ही अखबारों में भी उनका विज्ञापन कराये। आजकल केंद्र और राज्यों की सरकारें वैसे भी अपनी तमाम उपलब्धियों का विज्ञापन हार चैनल पार करा रहीं है। इलेक्टोरल बांड से धन हासिल करना भी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है । उसका भी प्रचार सरकारी पैसे से ही होना चाहिए,क्योंकि हर कोई तो चुनाव आयोग की वेब साइट पर जा नहीं पायेगा ,और क्या पता कि ये जानकारी अपलोड होते ही केंचुआ कि वेब साइट दम तोड़ दे। इसमें आखिर समय ही कितना लगता है। यदि ऐसा हुया तो सांप भी मर जायेगा और सरकार की लाठी भी नहीं टूटेगी। किसी भी वेब साइट को हैक करना एक अहिंसक काम है। मैंने तो खरमास में खरगोशों की सेवा करने का फैसला किया है । खरगोशों के कान ही गधों जैसे होते हैं ,बाकी हर खरगोश बड़ा बुद्धिमान माना जाता है । खरगोशों के कान सोशल मीडिया के पत्रकारों की तरह हमेशा खड़े रहते हैं जबकि गोदी मीडिया के पत्रकारों के कानों में हमेशा मैल भरा रहता है।। मेरी चले तो मै गोदी मीडिआ के हर पत्रकार को कानों की अत्याधुनिक मशीने दिलवा दूँ ! बहरहाल खरमास में आम चुनावों का खरखसा साफ सुनाई दे रहा है। भाजपा की सरकार ने सीएए लागू कर दिया है। विपक्षियों के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। विपक्ष अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने में भी पिछड़ रहा है। आप भी खरमास में खाली है। इसलिए हर घटनाक्रम पर नजर रखिये। पता नहीं कब और खाना ,कैसा खेला हो जाये?

क्रिकेट : सीरीज जीत में दिखा यंग ब्रिगेड़ का जलवा

मनोज चतुर्वेदी

रोहित शर्मा की अगुआई में टीम इंडिया ने यंग ब्रिगेड़ के दम पर इंग्लैंड से 4-1 से टेस्ट सीरीज जीत ली। यंग ब्रिगेड़ के प्रदर्शन से भारत भविष्य को लेकर आश्वस्त तो हुआ ही, साथ ही कई उपलब्धियों से भी जुड़.गया। इस सीरीज जीत ने भारत को क्रिकेट के तीनों पारूपों में नंबर एक बना दिया है। यही नहीं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़.में भी भारत पहली पायदान पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है। भारतीय टेस्ट टीम इसी तरह खेलती रही तो लगातार तीसरी बार फाइनल खेलती नजर आ सकती है।

टीम इंडिया के धर्मशाला में खेले गए पांचवें टेस्ट को जीतने से पहली बार टेस्ट इतिहास का जीत-हार का हिसाब बराबर कर सकी है। भारत ने अब तक 579 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 178 जीते हैं और 178 ही हारे हैं और बाकी ड्रा रहे हैं। टेस्ट रिकॉर्ड.के मामले में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है। उसने 866 मैचों में से 413 को जीता है और 232 हारे हैं। शुरूआती दौर में तो भारत का सफलता का प्रतिशत बहुत ही कमजोर था। पर आखिरी 79 टेस्ट मैचों में भारत की धमक देखने को मिली है। इन टेस्ट मैचों में 48 को भारत ने जीता है, 21 हारे हैं और 10 ड्रा रहे हैं। इंग्लैंड़ टीम

के भारत दौरे पर आने से पहले 'बैजबॉल' की खासी चर्चा थी पर भारत ने अपने शानदार प्रदर्शन से उन्हें इस बारे में सोचने को मजबूर कर दिया है। खास बात यह है कि सीरीज के पहले ही टेस्ट में भारत के हार जाने पर सीरीज में विराट कोहली की कमी महसूस की जाने लगी। साथ ही लोगों को लग नहीं रहा था कि भारतीय यंग ब्रिगेड़ इंग्लैंड़ को थाम पाएगी, लेकिन अगले पांच हफ्तों में यंग ब्रिगेड़ ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसकी हर तरफ प्रशंसा तो हो ही रही है, साथ ही भारत ने अगले चार टेस्ट जीतकर सीरीज पर कब्जा भी जमा लिया। इससे एक बात तो तय हो गई है कि युवा खिलाड़ी अब टेस्ट क्रिकेट की जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। इस सीरीज के दौरान रोहित शर्मा की कप्तानी भी निखर कर आई है। रोहित की कप्तानी में काफी कुछ महेंद्र सिंह धोनी वाली झलक दिखती है। धोनी अक्सर मैचों में स्पिनरों को गाइड़ करते दिखते थे और इस कारण स्पिनरों को सफलताएं भी खूब मिलीं। इसी इस सीरीज के दौरान युवा बल्लेबाजों को रोहित शर्मा ने अपने साथ खेलने के दौरान अच्छे से गाइड़ किया। इसका सबसे ज्यादा फायदा इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल को मिला। यशस्वी बेजोड़.खिलाड़ी हैं और वह कई बार स्वीप, स्लॉग स्वीप जैसे जोखिम भरे शॉट खेलने में भी परहेज नहीं करते हैं। पर इस तरह के शॉट खेलने पर रोहित अक्सर उनकी तरफ जाकर उन्हें ड़ांट पिलाते नजर आए। कोच राहुल द्रविड़.का मानना है कि इस सीरीज के दौरान अजित आगरकर की अगुआई वाली चयन समिति ने जिस तरह से युवा खिलाड़ियों को उपलब्ध कराया, इसलिए वह तारीफ के पात्र हैं। इस सीरीज में पदार्पण करने वाले ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, आकाशदीप और देवदत्त पड़िक्कल सभी ने प्रभावित किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि सीरीज दिखने में जितनी एकतरफा लग रही है, वैसी थी नहीं। इंग्लैंड़ के लिए भी दबाव बनाने के कई मौके मिले। पर भारतीय युवाओं ने इन महत्त्वपूर्ण मौकों पर शानदार प्रदर्शन से उन्हें हावी नहीं होने दिया। यह सीरीज भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल, स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और इंग्लैंड़ के पेस गेंदबाज जेम्स एंड़रसन के लिए यादगार साबित हुई। यशस्वी के बल्ले ने तो गावस्कर की याद दिला दी। वह गावस्कर के बाद एक सीरीज में 700 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। उन्होंने दो दोहरे शतकों और तीन अर्धशतकों से 712 रन बनाए। वह धर्मशाला टेस्ट की पहली पारी में जिस मजबूती के साथ खेल रहे थे, उसी तरह खेलते रहते तो गावस्कर के सर्वाधिक रन सीरीज में बनाने के रिकॉर्ड. को तोड़. सकते थे। पर बाहर निकलकर बेवजह खेलने के कारण उन्हें लौटना पड़ा। रविचंद्रन अश्विन की जहां तक बात है तो उन्हें इस सीरीज के दौरान 500 टेस्ट विकेट का आंकड़ा तो पार किया ही, साथ अपने सौवें टेस्ट में नौ विकेट लेकर इसे यादगार भी बना दिया।

अश्विन अपने सौवें टेस्ट में 128 रन पर नौ विकेट निकालने का रिकॉर्ड.बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड. श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम 141 रनों पर नौ विकेट का था। अश्विन ने धर्मशाला टेस्ट की दूसरी पारी में 77 रन पर पांच विकेट निकालकर पारी में 36वीं बार पांच या उससे ज्यादा विकेट निकालने के मामले में अनिल कुंबले (35 बार) को पीछे छोड़. दिया। रिचर्ड. हेड़ली ने भी 36 बार पांच या उससे ज्यादा विकेट निकाले थे। अब अश्विन से आगे सिर्फ मुरलीधरन (67) और शेन वार्न (37) हैं। जेम्स एंड़रसन टेस्ट मैचों में 700 विकेट लेने वाले पहले पेस गेंदबाज बन गए। इससे पहले यह उपलब्धि पाने वाले सिर्फ दो स्पिनर मुथैया मुरलीधरन (800) और शेन वार्न (708) हैं। एंड़रसन ने 183 टेस्ट मैचों में यह उपलब्धि हासिल की है। एंड़रसन 41 सालों के भले ही हो गए हैं पर वह अभी खेल रहे हैं और प्रभावित भी कर रहे हैं। इससे यह तो साफ है कि वह शेन वार्न के 708 विकेट के रिकॉर्ड.को जल्द तोड़. देंगे। पर मुरली के रिकॉर्ड.तक पहुंचने के लिए कम से कम दो-तीन साल और खेलना पड़.सकता है, जिसकी उम्मीद कम लगती है।